

लुशाई पहाड़ी जिला (नाम-परिवर्तन) अधिनियम, 1954

(1954 का अधिनियम संख्यांक 18)

[29 अप्रैल, 1954]

लुशाई पहाड़ियां जिले का नाम
परिवर्तित करने के लिए
अधिनियम

संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम लुशाई पहाड़ी जिला (नाम-परिवर्तन) अधिनियम, 1954 है।

(2) यह उस तारीख¹ को प्रवृत्त होगा जिसे केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

2. लुशाई पहाड़ी जिले का मीजो जिला कहलाना—आसाम में वह जनजाति क्षेत्र जो अब लुशाई पहाड़ी जिले के नाम से ज्ञात है, इस अधिनियम के प्रारम्भ से मीजो जिले के नाम से जाना जाएगा।

3. संविधान की छटवीं अनुसूची का संशोधन—संविधान की छटवीं अनुसूची में, पैरा 20 में—

(क) उपपैरा (2) के पश्चात् निम्न उपपैरा अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(2क) मीजो जिले में वह क्षेत्र समाविष्ट होगा जो संविधान के प्रारंभ के समय लुशाई पहाड़ियां जिला कहलाता था।”;

(ख) उपपैरा (3) में, “संयुक्त खासी-जयंती या पहाड़ी जिले” शब्दों के पश्चात् “और मीजो जिला” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे; और

(ग) सारणी के भाग-क में “लुशाई पहाड़ी जिले” शब्दों के स्थान पर “मीजो जिला” शब्द रखे जाएंगे।

4. लुशाई पहाड़ी जिले के प्रति निर्देश का मीजो जिले के प्रति निर्देश के रूप में अर्थ लगाना—किसी विधि, लिखत या अन्य दस्तावेज में लुशाई पहाड़ी जिले के प्रति किसी निर्देश का अर्थ, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, मीजो जिले के प्रति निर्देश के रूप में लगाया जाएगा।

¹ 1 सितम्बर, 1954, भारत का राजपत्र, 1954, असाधारण, भाग 2, अनुभाग 3, पृ० 1443।